

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,
पिलानी (राजस्थान)

संख्या Taxi/E-III/2008

दिनांक 10-02-2010

निविदा सूचना

संस्थान के विभिन्न कार्यों एवं परियोजनाओं के सम्पादन हेतु किराये पर टैक्सियों की आवश्यकता है । ये टैक्सियाँ टेके पर निविदाएँ आमत्रित करके एक वर्ष-पर्यन्त आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायी जानी है । निम्नलिखित योग्यता रखने वाले फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स इस निविदा के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

योग्यताएँ :-

1. फर्म /एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स जिनके पास उनकी स्वयं की दो टैक्सियाँ (इन्डिगो/एम्बेसडर कार/छोटी टैक्सियाँ आदि) तथा उनका पंजीकरण भी उनके नाम पर हो ।
2. फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्टर्स ने सेवाकर विभाग से अपना पंजीयन करवा रखा हो ।
3. सभी टैक्सियाँ (**Koad worthy in all respect**) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका निर्माण वर्ष निविदा वर्ष से 4 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए । ।
4. आयकर विभाग से PAN/TAN नम्बर का प्रमाण पत्र होना चाहिये ।
5. संस्थान में दो तरह के टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है । छोटे टैक्सी वाहन जैसे एम्बेसडर,इन्डीगो आदि एवं बड़े टैक्सी वाहन जैसे स्कोर्पियो,क्वालीस,टेवेरा,इत्रोवा आदि

इच्छुक निविदादाता जो उपरोक्त योग्यता रखते हों, वांछित प्रमाण पत्र/कागजात के साथ दिनांक 16 .02.10 से . 04. 03.2010 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक (प्रत्येक कार्य दिवस में) अनुभाग अधिकारी ,ई-III सीरी मे रू. 50/- जमा कर प्राप्त कर सकते हैं । दस्तावेज पूर्ण रूप से भर कर प्रशासनिक अधिकारी सीरी के कार्यालय में दिनांक 05 .03.10 को 3.30 बजे तक जमा करायें । इसके बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । प्राप्त निविदाएँ दिनांक 05 .03.10 को सांय 4.00 बजे खोली जाएंगी।

निविदाओं का विस्तृत ब्योरा सीरी की वेबसाइट www.ceeri.res.in पर भी देखा जा सकता है , परन्तु डाउन लोड किये हुए टेंडर फार्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,
पिलानी (राजस्थान)

संख्या Taxi/E-III/2008

दिनांक 10-2-2010

संस्थान में परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यों हेतु वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। कृपया निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए टैक्सियाँ किराए पर देने की दरें लिख कर दिनांक 05.03.2010 को सायं 3.30 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें। निविदाएँ दिनांक 05.03.2010 को सायं 4.00 बजे खोली जाएंगी।

1. संस्थान को जब भी वाहनों की आवश्यकता होगी, वाहन (अधिकतम 30 मिनट के अन्दर) उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदादाता इस टेंडर फॉर्म के साथ संलग्न तालिका (Annexure) I के दोनों categories में अपने किराये की दरें (प्रति कि.मी.) राशि लिखें। कार्यादेश मिलने वाले निविदा कर्मी को स्थानीय ड्यूटी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर टैक्सी उपलब्ध करनी होगी :-
 - (क) 6 घण्टे के समय तक के लिए Annexure I की दरों पर 125 कि.मी. के लिये भुगतान किया जायेगा।
 - (ख) यदि वाहन का उपयोग 6 घण्टे से अधिक समय के लिए होता है तो अगले प्रत्येक घण्टे का 20 कि.मी. प्रति घण्टे के हिसाब से Annexure I की दरों पर भुगतान किया जाएगा हालांकि लोकल ड्यूटी में इसकी अधिकतम सीमा प्रति दिन 250 KM की Annexure I की दर होगी।
 - (ग) ठेके का चुनाव करते समय 80% weightage छोटे वाहन को 20% बड़े वाहन को दिया जाएगा।
3. यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा, जो आवश्यकता पडने पर बढ़ाया जा सकता है। सेवार्यें ठीक न होने पर निदेशक सीरी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।
4. अनुबंध के अंतर्गत लंबी दूरी के लिए पिलानी से बाहर जाने वाले वाहनों (For outstation taxi) के मामले में न्यूनतम दूरी के लिए 250 KM प्रतिदिन के किराये का भुगतान देय होगा।
 - (क) 'लोकल' शब्द से पिलानी के अन्दर व पिलानी के आसपास स्थित स्थान जैसे लुहारू, झुन्झूतू, चिडावा, सीकर राजगढ, हिसार, भिवानी का अर्थ माना जायेगा।
 - (a) 'आउट स्टेशन' शब्द का अर्थ है वो स्टेशन जो लोकल में नहीं आते जैसे दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ, पटियाला आदि।

2/5

5. वातानुकूलित वाहनों का किराया सामान्य वाहनों के किराये से एक रूपया (1.00) अधिक देय होगा ।
6. रात्रिकालीन शुल्क (Night charges) की राशि 100/- (एक सौ रूपये मात्र) देय होगा ।
7. फर्म सेवा कर अदायगी के लिए संबंधित विभाग से पंजीकृत हो तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करें ।
8. सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respect) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा निर्माण वर्ष निविदा वर्ष से 4 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
9. वाहनों के सभी आवश्यक कागज अर्थात बीमा,पंजीकरण,झाड़विंग लाइसेन्स ,प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र ,रोड -टैक्स इत्यादि पूर्ण होने चाहिए । कागजों को पूरा करने का दायित्व इस संस्थान का नहीं होगा ।
10. संस्थान में दो तरह के टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है । छोटे टैक्सी वाहन जैसे एम्बेसडर,इन्डीगो आदि एवं बड़े टैक्सी वाहन जैसे स्कोर्पियो,क्वालीस,टेवेरा,इन्नोवा आदि ।
11. स्वीकृत निविदादाताओं को बतौर बयाना राशि रू 20000/- (बीस हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी) निदेशक, सीरी पिलानी के नाम से बना कर संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी ।
12. फर्म के मालिक के पास स्वयं की दो या दो से अधिक छोटे टैक्सी वाहन जैसे एम्बेसडर/इंडिगो आदि होने चाहिए । वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएँ, अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी।
13. संस्थान को वाहनों की आवश्यकता पड़ने पर निविदादाता को केवल वाणिज्यिक वाहनों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा संस्थान द्वारा बाहर से किराये पर लिए गए वाहनों का खर्च निविदादाता को ही वहन करना होगा ।
14. वाहनों में किसी प्रकार की मरम्मत के व्यय का दायित्व संस्थान का नहीं होगा ।
15. फर्म द्वारा संस्थान को वाणिज्यिक टैक्सी ही प्रदान की जानी चाहिए ।
16. वाहनों की सीटों के सीट कवर सफेद, धुले तथा प्रेस किए हुए होने चाहिए, तथा वाहन चालक बर्दी में होने चाहिए ।
17. यात्रा शुरू करने के स्थान पर वाहन निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा जुर्माने के रूप में रू 200/- की कटौती वाहन के यात्रा बिल से की जा सकती है । वाहन चालक दी गई ड्यूटी के लिए बाध्य होगा । वाहनों के ब्रेक-डाउन होने पर अविलम्ब वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर उस यात्रा के बिल से 1000/-रू Penalty दंड शुल्क वसूल किया जायेगा।
18. वाहन में निष्पादन (performance) तथा अनुरक्षण (Maintenance) संबंधी शिकायत मिलने पर शिकायतों को तुरंत दूर करना होगा अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।
19. आमतौर पर निविदादाता को यात्रा की समाप्ति की तिथि से 07 दिनों के अन्दर टैक्सी बिल प्रस्तुत करना होगा ।
20. केवल मुद्रित बिल ही स्वीकार किये जायेंगे । बिल की (02) दो प्रतियाँ देनी होंगी ।
21. बिल में किलोमीटर का व्यौरा संस्थान में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार होना अनिवार्य होगा ।
22. वाणिज्यिक वाहनों के किराए के बिलों का भुगतान बिल प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर चेक (Cheque) द्वारा किया जायेगा ।
23. संस्थान द्वारा किसी भी टैक्सी के पंजीकरण /बीमा, जमा किए गए टैक्स आदि की रसीद मांगी जा सकती है ।

24. निविदादाता को विभिन्न प्रकार के वैधानिक नियमों आथकर, सेवाकर, वाणिज्यिक, श्रम नियम आदि प्रावधान का पालन करना होगा । यदि कोई विधान द्वारा संस्थान को इस संबंध में कोई कर अदा करने के लिए सम्मन मिलेगा तो उसकी वसूली निविदादाता के बिलों/धरोहर राशि से की जाएगी व शेष राशि का भुगतान करने के लिए निविदादाता कानूनी तौर पर बाध्य होगा ।
25. सामान्यतः गाड़ियाँ दिल्ली/जयपुर जाती हैं, पर इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात, उत्तरांचल आदि भी जा सकती है जिसके रोड टैक्स इत्यादि करों के बारे में संस्थान की कोई देनदारी नहीं होगी ।
26. पिलानी से बाहर की ड्यूटी करने पर ड्राइवर के ठहरने की व्यवस्था व अन्य किसी प्रकार के व्यय के लिए संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा ।
27. यात्रा के दौरान वाहन खराब हो जाने अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थिति आने पर वाहन चालक/मालिक
28. अनुबंध समाप्त करने व जारी रखने का अधिकार निदेशक सीरी पिलानी के पास सुरक्षित रहेगा। सशर्त निविदाएँ (Conditional Tender) स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
29. अनुबंधित अवधि के दौरान किराये की निर्धारित दरों में सामान्य परिस्थितियों में पुननिर्धारण पर विचार नहीं किया जाएगा ।
30. जिस फर्म/एजेन्सी को काम करने का कार्यादेश दिया जायेगा उस फर्म/एजेन्सी को पिलानी में कार्यालय खोलना आवश्यक होगा ।
31. निदेशक, सीरी, पिलानी को किसी/सभी निविदाओं को अस्वीकार करने तथा किसी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है । साथ ही उन्हें बिना कोई कारण बताए न्यूनतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार है ।
32. उपरोक्त में से किसी भी शर्त में छूट देने का अधिकार निदेशक सीरी के पास सुरक्षित रहेगा ।

प्रशासन नियंत्रक

CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE
Pilani (Rajasthan)

(Council of Scientific and Industrial Research)

Non A/C Rates per day for Hiring of Taxi at CEERI Pilani (For outstation duty)

S.No	Type of vehicle (Non A/C)	Outstation Charges @ Rs./K.m.
1.	1 st Category (Smaller Taxies) i.e. Ambassador/Indica/Indigo etc.	
2.	2 nd Category (Bigger Taxies) i.e. Scorpio/Qualis/Tavera/Innova etc.	

Note : 1. For Air conditioned vehicle extra charges of Rs 1/- per KM would **apply**, as per item No. 5 of the terms and condition of the tender.

Note : 2. For outstation, the minimum charges payable would be for 250 K.M. per day.

Place:

Name of the Firm:.....

Date:

Signature:.....

Address:.....

Phone No.....

Mobile No:.....